

समुद्री प्रवासियों की वापसी के विरुद्ध इटली के न्यायालय का नियन्त्रण

स्रोत: द हिंदू

इटली के सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने नियन्त्रण कथि किया कि लीबिया को उन देशों में जबरन भेजने से निरिंद्रित करता है जहाँ उनके जीवन अथवा अधिकार के संबंध में खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- न्यायालय का यह नियन्त्रण [नॉन-रफिलमेंट के सदिधांत](#) पर आधारित है जो लोगों को उन देशों में जबरन भेजने से निरिंद्रित करता है जहाँ उनके जीवन अथवा अधिकार के संबंध में खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
 - इटली के सर्वोच्च न्यायालय के नियन्त्रण के अनुसार लीबिया प्रवासियों के लिये असुरक्षित क्षेत्र है और उन्हें पुनः लीबिया भेजने की दशा में तटरक्षकों तथा मलिशियों के द्वारा हरिस्त केंद्रों में उनके साथ "अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार" का जोख़िम उत्पन्न हो सकता है।
- इटली के सर्वोच्च न्यायालय का यह नियन्त्रण कि समुद्री प्रवासियों को पुनः लीबिया भेजना विरुद्ध है, [समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन](#) के अनुच्छेद 98 के अनुरूप है।
 - यह अनुच्छेद शपिमास्टर को अपने जहाज अथवा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समुद्र में आपात अथवा संकटपूर्ण स्थितियों में लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु बाध्य करता है।



और पढ़ें... [UNCLOS समुद्री क्षेत्र, लीबियाई संकट और संघरणवारिस की घोषणा](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/italian-court-ruling-against-returning-sea-migrants>

